न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 16 / 2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सबलसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 अखसिंह 2 नीम्बसिंह 3 हरीसिंह 4 नारायणसिंह पिसरान सबलसिंह 5 वालीकंवर पत्नी सबलसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर 6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा स्टेशन रोड बाडमेर 7 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चौहटन 78 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।

प्राथमिक निर्णय

दिनांक 16/09/22

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जोगनगर पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 108 / 58 रकबा 51.19 बीघा भूमि आई हुई है। वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में से जरिये विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 04 से 01.00 बीघा भूमि क्रय की थी, जिसके अनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि में 20 / 1039 हिस्सा खातेदारी का बनता है तथा उसी अनुसार वादी का मौके पर कब्जा काश्त है। पक्षकारान बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से दर्ज नही होने से हिस्से को लेकर पक्षकारान में आपस में विवाद रहता है। लिहाजा वादी वादग्रस्त खेत में अपना 20 / 1039 हिस्सा खातेदारी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड कब्जा काश्त अनुसार पृथक करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ईकतरफा। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी ने निवेदन किया कि मौजा जोगनगर पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 108 / 58 रकबा 51.19 बीघा भूमि में वादी द्वारा पंजीबद्ध बेचान के आधार पर खरीदी गई भूमि में अपना 20 / 1039 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का अया हुआ है। पक्षकारान बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से दर्ज नही होने से हिस्से को लेकर पक्षकारान में आपस में विवाद रहता है। लिहाजा वादी अपना 20 / 1039 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड कब्जा काश्त अनुसार पृथक करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 व पंजीबद्ध बेचान के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा जोगनगर पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला

बाडमेर के खसरा संख्या 108/58 रकबा 51.19 बीघा भूमि में वादी 20/1039 हिस्सा है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वकील वादी उक्तानुसार अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाना चाहता है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जोगनगर पटवार क्षेत्र उण्डखाा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 108/58 रकबा 51.19 बीघा भूमि में वादी 20/1039 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार बाडमेर स्वंय मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। प्राथमिक डिकरी जारी हो। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16/09/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर